

अध्याय IV

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

4.1 प्रस्तावना

किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण जोखिमों का समाधान करने तथा यह उचित आश्वासन प्रदान करने कि स्वत्व के मिशन के अनुसरण में निम्नलिखित समान्य उद्देश्यों⁴² को प्राप्त किया जा रहा है के लिए परिकल्पित है:

- जवाबदेही दायित्व पूर्ण करना;
- लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति से संसाधनों की सुरक्षा।

स्व-निर्धारण के युग में, एक सुदृढ़ अनुपालन तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार कर सीबीईसी ने दो कार्यों अर्थात् रिटर्नों की संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास तथा नियमित रूप से कर जाल के अन्तर्गत लाई जा रही नई सेवाओं के साथ, उन व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश भी मौजूद हैं जो कर चुकाने के दायी थे परन्तु भुगतान टालते रहे, ताकि उन्हें कर जाल में लाया जा सके, जिसके फलस्वरूप कर आधार विस्तृत हो।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

अभिलेखों की जांच के दौरान हमें विवरणियां संवीक्षा तथा निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा और क्षेत्राधिकार अधिकारियों के कार्यचालन से संबंधित स्थापित अनुदेशों के अनुपालन में कई कमियों का पता चला। इनसे पता चला कि विभाग को मौजूदा प्रणालियों तथा कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए।

⁴² इंटोसाई जीओवी 9100-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानकों के लिए दिशानिर्देश

हमने ₹ 165.88 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 103 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से आपत्तियां मंत्रालय को बताईं। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 41 मामले परिशिष्ट-IV में उल्लिखित शामिल हैं। शेष 62 मामलों (परिशिष्ट V) में वे 34 मामले जिनमें मंत्रालय ने विभागीय त्रुटियों को स्वीकार नहीं किया और 28 मामले जहां मंत्रालय की प्रतिक्रिया/अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017) शामिल हैं।

आपत्तियों पर तीन प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई थी:

- विवरणियों की संवीक्षा
- आंतरिक लेखापरीक्षा न करना
- आंतरिक लेखापरीक्षा में चूक का पता न लगना
- क्षेत्राधिकारी अधिकारियों का कार्यचालन

4.3 प्राथमिक संवीक्षा की प्रणाली में अपर्याप्तताएं

एसीईएस शुरू करने के बाद विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा स्वयं प्रणाली द्वारा ही की जा रही थी। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणियों की समय पर प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, संगणित राशि की अंकगणितीय सटीकता तथा नॉन-फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना था। यदि एसीईएस प्रणालियों द्वारा कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी सभी विवरणियों को आरण्डसी⁴³ हेतु चिन्हित किया गया था। एसीईएस द्वारा आरण्डसी हेतु चिन्हित इन विवरणियों को निर्धारित से परामर्श के बाद विधिमान्य किया जाना तथा प्रणाली में दुबारा दर्ज किया जाना चाहिए। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा तथा आरसी विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर पूरी की जानी थी।

रेंजों में एसटी-3 विवरणियों की जांच के दौरान हमने 11 मामले देखे जहां प्राथमिक संवीक्षा की प्रणाली में कमियों के कारण कर देयता के कम

⁴³ चिन्हित रिटर्न के संबंध में विसंगतियों के समाधान की प्रक्रिया को आरण्डसी कहा जाता है।

भुगतान/भुगतान न करने को एसटी-3 विवरणियां में दर्शाया गया था या कर के विलंब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने का पता नहीं चला था। सेवा कर तथा ब्याज के कम भुगतान/भुगतान न करने से संबंधित 10 मामलों (परिशिष्ट-IV के खण्ड क में शामिल) में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा इन चूकों को एसीईएस में सुविधा की अनुपलब्धता पर आरोपित किया जिसका समाधान नई जीएसटी व्यवस्था में कर लिया जाएगा। मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

4.3.1 सेवा कर के कम भुगतान तथा ब्याज का भुगतान न करने का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) के अनुसार सेवा कर का भुगतान आगामी माह की 5 तारीख तक मासिक आधार पर किया जाना है। तथापि, मार्च माह हेतु भुगतान 31 मार्च तक करना आवश्यक है। इसके अलावा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 में प्रावधान है कि वह प्रत्येक व्यक्ति, जो निर्धारित अवधि में केंद्रीय सरकार के खाते में कर या उसके भाग को क्रेडिट करने में विफल हो जाता है, उस दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा उस समय हेतु निर्धारित की गई है।

मुंबई एसटी-11 कमिश्नरी में मै. एस्सार शिपिंग लि. की एसटी-3 विवरणियां की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विव15 तथा विव16 हेतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 9.14 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा, मार्च 2016 माह हेतु स्वच्छ भारत उपकर सहित ₹ 13.90 करोड़ की कुल सेवा कर देयता के प्रति निर्धारिती ने केवल ₹ 7.65 करोड़ का ही भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.25 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिस पर ₹ 83.94 लाख का ब्याज भी देय है।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016) तब निर्धारिती ने आंशिक रूप से ₹ 5.52 करोड़ की राशि का भुगतान किया (दिसम्बर 2016 से फरवरी 2017) तथा बताया कि शेष राशि ब्याज सहित यथा समय में दे दी जाएगी।

मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (सितम्बर 2017) कि यह मामला पहले से इसके ध्यान में था तथा निर्धारिती के विरुद्ध डीजीसीईआई जांच चल रही थी। मंत्रालय का उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की प्रणाली में कमियों से संबंधित थी जिसका मंत्रालय द्वारा उद्धृत डीजीसीईआई जांच से कोई संबंध नहीं था।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा न करना

लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुपालन सत्यापन जोखिम पैरामीटरों के आधार पर चयनित निर्धारिती इकाइयों की विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दलों (आईएपीज) द्वारा लेखापरीक्षा को अनिवार्य बना देता हैं। हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निर्धारितियों के कवरेज की पर्याप्तता तथा लेखापरीक्षा हेतु देय निर्धारिती इकाइयों के मामले में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के संभावित प्रभाव की जांच की थी। हमें चूकों का पता चला जिसमें 21 निर्धारिती इकाइयों के मामले में ₹ 25.09 करोड़ की मूल्य राशि शामिल थी, जो विभागीय प्रतिमानों के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु देय थी परन्तु आईएपीज द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय ने इनमें से 19 मामले स्वीकार किए (*परिशिष्ट IV* के खण्ड ख में शामिल किए गए हैं)। मंत्रालय ने एक मामले को स्वीकार नहीं किया तथा एक मामले में मंत्रालय का उत्तर आंतरिक लेखापरीक्षा न करने पर मौन था, जिस पर नीचे चर्चा की गई है:

4.4.1 संगृहीत किंतु जमा न किया गया सेवा कर

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 के अनुसार सेवा कर का भुगतान माह की 6 तारीख तक यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराया गया है या अन्य मामले में मार्च माह को छोड़ कर, जहां कर भुगतान मार्च में ही किया जाना है, आगामी माह की 5 तारीख तक, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के क्रेडिट में भुगतान किया जाएगा। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70(1) के साथ पठित सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 7 शर्त लगाता है कि सेवा

कर भुगतान हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर देय कर का स्वयं निर्धारण करेगा तथा इसे विशेष अर्ध वर्ष के आगामी माह की 25 तारीख तक फॉर्म एसटी-3 में अर्ध वार्षिक विवरणियां केद्रीय उत्पादशुल्क के पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करेगा।

चंडीगढ़-। कमिश्नरी में मै. न्यूटाइम कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि., यद्यपि विव16 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु देय था, परन्तु विभाग द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपने ग्राहकों को निर्माण सेवाएं उपलब्ध कराई थी तथा विव14 तथा विव15 के दौरान रनिंग बिलों में माध्यम से ₹ 35.30 लाख का सेवा कर प्रभारित किया था। तथापि, निर्धारिती ने उपरोक्त अवधि के दौरान न तो सेवा कर विवरणियां फाइल की और न ही सरकारी खाते में ग्राहकों से संग्रहीत ₹ 35.30 लाख का सेवा कर जमा कराया। इसके अलावा निर्धारिती ने ओलिवर इंजीनियरिंग प्रा. लि. से मॉबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 2.79 करोड़ प्राप्त किए थे (अप्रैल 2013), किंतु निर्धारिती ने लेखापरीक्षा की तिथि तक प्राप्त किए गए अग्रिम पर ₹ 13.79 लाख की सेवा कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इस प्रकार निर्धारिती से विवरणियों को फाइल न करने हेतु शास्ति के उदग्रहण के अलावा ₹ 49.09 लाख के सेवा कर की कुल राशि वसूलीयोग्य थी।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय (सितम्बर 2017) ने बताया कि विभाग को मामले की जानकारी थी क्योंकि उन्होंने अभिलेख मांगे थे जब निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणियां फाइल नहीं की थी। उन्होंने आगे बताया कि चूँकि निर्धारिती ने कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे, अतः उन्होंने आयकर विभाग से एकत्रित विव13 तथा विव16 के आय ब्यौरों (जनवरी 2017) का उपयोग करते हुए निर्धारिती को विव13 से विव16 के लिए ₹ 1.51 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

तथ्य यह शेष रहता है कि विभाग ने हमारे द्वारा दी गई सूचना (फरवरी 2016) के बाद ही मामले पर कार्रवाई शुरू की थी (जनवरी 2017) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा निश्चित समय पर नहीं की गई थी।

4.4.2 सेवा के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना

अधिसूचना सं.30/2012 दिनांक 20 जून, 2012 के क्रम सं. 10 के अनुसार यदि करयोग्य सेवा गैर करयोग्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति द्वारा कर योग्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को दी जाती है और सेवा के प्रावधान का स्थान करयोग्य क्षेत्र में है तो सेवा कर का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा।

हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में मै. पोसीडैक्स टेक्नोलोजिज़ प्रा. लि. विव15 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु देय था किंतु लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। हमारी संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अप्रैल 2013 और मार्च 2015 के बीच की अवधि के दौरान विभिन्न विदेशी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त टैक्निकल कन्सल्टैन्सी तथा व्यावसायिक सेवाओं के प्रति ₹ 2.04 करोड़ व्यय किए थे। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती ब्याज सहित उपरोक्त राशि पर ₹ 25.21 लाख के सेवा कर के भुगतान का दायी था। इसके परिणामस्वरूप सेवाओं के आयात पर ₹ 25.21 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 7.12 लाख के ब्याज सहित ₹ 25.21 लाख के सेवा कर का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय का उत्तर आंतरिक लेखापरीक्षा न करने पर मौन था।

4.5 आइएपीज द्वारा चूकों का पता न लगाना

आइएपीज लेखापरीक्षा योजना के अनुसार तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2015 (सीईएसटीएएम-2015) के साथ प्रतिस्थापित सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारिती इकाइयों की लेखापरीक्षा करते हैं।

हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने आईएपी द्वारा पहले से लेखापरीक्षित निर्धारितियों के नमूने के लेखापरीक्षण द्वारा आईएपीज द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास किया। 57 मामलों, जहां हमने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों

को पता लगाने हेतु आईएपीज की चूक के बारे में बताया था, मैं से मंत्रालय ने नौ मामलों को स्वीकार किया (*परिशिष्ट IV* का खण्ड ग)। शेष 48 मामलों में से (*परिशिष्ट-V* का खण्ड ग) 12 मामलों में, जिनके लिए मंत्रालय ने बताया कि चूक हेतु उत्तरदायी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था। मंत्रालय ने 25 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया तथा 11 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था। कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

4.5.1 निर्यात लाभ छूट के अनियमित दावे का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6क(1)(घ) के अनुसार सेवा को सेवा का निर्यात केवल तभी माना जा सकता है यदि सेवा नियमावली के प्रावधान के स्थान के अनुसार प्रावधान का स्थान भारत से बाहर हो।

सेवा के प्रावधान के स्थान नियमावली, 2012 के नियम 9(ख) के अनुसार नियम 2(1) में यथा परिभाषित, कम्प्यूटर नेटवर्क सेवा के माध्यम से ऑनलाइन सूचना तथा डाटाबेस एक्सेस या पुनः प्राप्ति या दोनों इलेक्ट्रॉनिक रूप में (ओआईडीएआर) सेवा प्रदाता का स्थान है।

सीबीईसी की निदेशन टिप्पणियां (प्रश्न सं. 5.2.4) स्पष्ट करती हैं कि सेवा प्राप्तकर्ता के मामले में स्थान निर्धारित करने के लिए सुसंगत स्थान वह स्थान है जहां सेवा का “उपयोग” या “खपत” हुई। इसके अलावा, सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 4ए प्रावधान करता है कि सेनवैट क्रेडिट बीजक बिल या चालान पर लिया जाना चाहिए जिसमें उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी गई कर योग्य सेवा का विवरण तथा मूल्य तथा उस पर देय सेवा कर निर्दिष्ट हो।

4.5.1.1 छूट तथा निर्यात लाभों का अनियमित दावा

बैंगलोर एसटी-11 कमिश्नरी में मै. ओनमोबाइल ग्लोबल लि. ने विभिन्न टैलीकोम प्रचालकों के ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएसज) उपलब्ध कराने के लिए बैंगलोर में डाटा केंद्र स्थापित किया था। निर्धारिती ने ऑनलाइन इंफोर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल (ओआईडीएआर) के अंतर्गत

इन सेवाओं को सही तरीके से वर्गीकृत किया तथा कर योग्य क्षेत्रों में अवस्थित टेलीकोम प्रचालकों को दी गई इन सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया था। तथापि, कर योग्य क्षेत्र से बाहर अवस्थित टेलीकोम प्रचालकों को दी गई ऐसी सेवाओं के मामले में निर्धारिती ने इन्हें सेवाओं का निर्यात मानते हुए विव13 से विव16 की अवधि हेतु ₹ 23.35 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। हालांकि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने सितम्बर 2014 तक की अवधि को कवर करते हुए फरवरी 2015 में इकाई की लेखापरीक्षा की थी फिर भी इस भुगतान न करने का पता नहीं चला था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016) तब मंत्रालय ने इस आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया (सितम्बर 2017) कि डीजीसीईआई ने पहले ही जून 2016 में इसका निरीक्षण शुरू कर दिया था जबकि सीएजी लेखापरीक्षा ने इस मामले को जुलाई 2016 में बताया था।

मंत्रालय का उत्तर इस मामले से संबंधित नहीं था जोकि निर्धारिती द्वारा छूट के गलत दावे का पता लगाने में आईएपी की विफलता के बारे में है जिसने फरवरी 2015 में इस निर्धारिती की लेखापरीक्षा की थी।

4.5.1.2 सेवाओं के निर्यात का गलत दावा तथा सेनवैट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

बडोदरा-। में मै. डिलोएट, हस्किन्स एण्ड सैल्स (आईएपी द्वारा विव14 तक लेखापरीक्षित) ने विदेशी ग्राहकों को उन्हें सेवा के निर्यात के रूप में मानते हुए उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। हमने देखा कि निर्धारिती ने विदेशी संस्थानिक निवेशकों (एफआईआईज), जिनके मुख्यालय विदेश में थे किंतु साथ ही भारत में कार्य कर रहे थे, को सेवा उपलब्ध कराई थी जिसने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया था तथा जो भारत में स्थापित तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत था। अतः सेवाओं को सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6ए(1)(डी) के अनुसार सेवा का निर्यात नहीं माना जा सकता। निर्धारितों ने विव15 में 50 सेवा बीजकों/बिलों पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था

जिसमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जिन पर यह ₹ 91.21 लाख के सेवा कर भुगतान का दायी था। चूँकि, विव15 के ब्यौरों ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, इसलिए सेवा के प्रावधान के स्थान नियमावली, 2012 की शुरुआत के बाद निर्धारिती के सभी संव्यवहारों के लिए इस पहलू का सत्यापन करने का अनुरोध विभाग को किया गया था। इसके अलावा, हमने देखा कि निर्धारिती ने 14 बीजकों पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया था जिसके लिए यह इसकी प्रकृति तथा स्वीकार्यता के कोई ब्यौरों उपलब्ध नहीं करा सका था, जिसके अभाव में ऐसे क्रेडिट की उपलब्धता की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी थी। अतः विभाग से ऐसे बीजकों की स्वीकार्यता की जांच तथा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा सूचना दी (सितम्बर 2017) कि निर्धारिती को ₹ 10.96 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। आईएपी की विफलता हेतु यह बताया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी अतः आईएपी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई थी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 के अनुबंध VIII के कॉलम 12 में निर्धारितियों द्वारा दावा की गई छूट की सटीकता की जांच के लिए विशेष जांच निर्धारित की गई है।

4.5.1.3 सेवाओं के निर्यात की छूट की गलत प्राप्ति

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(के) के अनुसार “कर योग्य सेवा” का तात्पर्य/किसी भी तरीके से श्रमबल की भर्ती या आपूर्ति, अस्थायी या अन्यथा, के संबंध में श्रमबल भर्ती या आपूर्ति एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा से है, को शामिल करता है। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 6ए प्रावधान करता है कि उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी गई किसी सेवा के प्रावधान को केवल तब सेवा का निर्यात माना जाएगा (अन्यों के मध्य) जब

सेवा प्राप्तकर्ता भारत से बाहर अवस्थित हो तथा ऐसी सेवा हेतु भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा रूपांतरणीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है।

चेन्नई एसटी-। कमिश्नरी में मै. स्टार वर्ल्ड इंटरनेशनल सर्विस (इंडिया) प्रा. लि. के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान (आईएपी द्वारा अप्रैल 2015 में लेखापरीक्षित) लेखापरीक्षा ने देखा कि विव14 के दौरान निर्धारिती द्वारा फाइल की गई एसटी-3 विवरणियों में ₹ 63.84 लाख की कम सूचना दी गई थी। यह राशि मै. श्रीराम ईपीसी लि. चेन्नई को इराक में उनके परियोजना कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई श्रमबल आपूर्ति सेवाओं पर सेवा प्रभार से संबंधित थी तथा निर्धारिती ने इस सेवा को सेवाओं के निर्यात के तहत वर्गीकृत किया और सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। आगे यह देखा गया कि निर्धारिती को यह राशि केवल भारतीय मुद्रा में ही प्राप्त हुई थी। लेखापरीक्षा ने बताया कि चूँकि सेवा प्राप्तकर्ता भारत में अवस्थित था और निर्धारिती को सेवाओं के लिए भुगतान भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुआ था अतः सेवा को सेवाओं का निर्यात नहीं माना जाना चाहिए तथा ₹ 2.84 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.89 लाख का सेवा कर वसूली योग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2016), तब मंत्रालय ने यह सूचना देते समय (मई 2017) कि मांग की पुष्टि हो गई थी, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.53 का उद्धरण देते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुसार ईरान को निर्यातों के प्रति भारतीय रूप में उदगृहीत निर्यात प्राप्तियों को निर्यात लाभ प्राप्त करने हेतु अनुमति दी गई थी तथा यह इराक पर भी लागू हो सकती थी।

मंत्रालय का उत्तर विरोधाभासी था क्योंकि एक तरफ इसने बताया कि मांग की पुष्टि हो गई थी तथा दूसरी तरफ इस अवधारणा पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया कि विशेष रूप से ईरान के लिए किए गए प्रावधान इराक पर भी लागू हो सकते थे। निर्धारित शर्तों को पूरा करने के मद्देनजर सेवा को सेवा के निर्यात के रूप में नहीं माना जा सकता और इसलिए सेवा कर उद्ग्राह्य था जैसा हमने उल्लेख किया।

4.5.2 सेवा कर के कम भुगतान का पता न चलना

4.5.2.1 कराधान समय नियमावली का पालन न करने के कारण कम भुगतान

1 अप्रैल 2011 से प्रभावी कराधान समय नियमावली 2011 के नियम 3 के अनुसार कराधान का समय वह समय होगा जब उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए बीजक जारी किया जाता है और उस मामले में जहां सेवा प्रदाता व्यक्ति बीजक जारी होने से पूर्व भुगतान प्राप्त करता है, वह समय होगा जब वह ऐसे भुगतान की सीमा तक ऐसे भुगतान प्राप्त करता है। नियम 9 के परन्तुक में बताया गया कि सेवाओं, जिनके लिए प्रावधान 30 जून 2011 को या इससे पूर्व पूरा हो गया था या जहां बीजक 30 जून 2011 तक जारी कर दिए गए थे, में कराधान समय कर दाता के विकल्प के आधार पर वह तिथि होगा जिस पर भुगतान प्राप्त या प्रदान किया गया था, जैसा भी मामला हो।

कोचीन कमिश्नरी में मै. जेलिटा पब्लिसिटी कोट्टायम (आईएपी द्वारा मई 2014 में लेखापरीक्षित) के अभिलेखों की जांच के दौरान विविध कर्जदारों तथा लेखा बही में दर्शाए गए अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान से यह देखा गया कि निर्धारिती ने विव12 में कराधान समय नियमावली 2011 के अननुपालन के कारण ₹ 2.85 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान किया था।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2015) तब मंगलय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (जुलाई 2017) कि ब्याज एवं शास्तियों सहित विव12 से विव15 की अवधि के लिए उपकर सहित ₹ 8.60 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आईएपी की विफलता के लिए यह बताया गया कि आपत्ति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों अर्थात् तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा की डेस्क समीक्षा करते समय विस्तृत रूप से जांच की जानी थी तथा नमूना जांच आधार पर नहीं।

4.5.2.2 प्राप्त अग्रिमों पर सेवा कर का कम भुगतान

अधिनियम की धारा 67(3) के अनुसार कर योग्य सेवा हेतु प्रभारित सकल राशि में सेवा के प्रावधान से पूर्व, दौरान या पश्चात करयोग्य सेवा के प्रति प्राप्त कोई राशि शामिल होगी।

कोचीन कमिश्नरी में मै. स्काई लाइन बिल्डर्स (आईएपी द्वारा अप्रैल 2014 में लेखापरीक्षित) ने विव13, विव14 तथा विव15 के दौरान क्रमशः ₹ 70.19 करोड़, ₹ 93.23 करोड़ तथा ₹ 105.64 करोड़ का अग्रिम (जिसमें भूमि का मूल्य भी शामिल था) प्राप्त किया था। विव13, विव14 तथा विव15 की एसटी-3 विवरणियों में इस अग्रिम राशि को करयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। सेवा कर की गणना हेतु 'ग्राहकों से अग्रिम' के रूप में प्राप्त कुल राशि पर विचार न करने के परिणामस्वरूप तीन वर्षों के लिए ₹ 2.14 करोड़ के सेवा कर (विभेदक करयोग्य मूल्य के 75 प्रतिशत की छूट देने के बाद) तथा 31 अगस्त 2015 तक ₹ 86.61 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ था।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (जुलाई 2017) कि ब्याज एवं शास्तियों सहित विव12 से विव15 की अवधि हेतु उपकर सहित ₹ 8.60 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए निर्धारिती को एससीएन जारी कर दिया गया था। आईएपी की विफलता हेतु यह बताया गया कि आपत्ति का पता नहीं चल सका क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों अर्थात् तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, ट्रायल बैलेंस की डेस्क समीक्षा करते समय विस्तृत रूप से संवीक्षा की जानी चाहिए थी तथा नमूना जांच आधार पर नहीं।

4.5.2.3 प्रति प्रभार तंत्र के तहत सेवा कर का कम भुगतान

दो मामलों⁴⁴ में हमने बताया कि यद्यपि आईएपी ने इन निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की थी फिर भी वे प्रति प्रभार तंत्र के तहत ₹ 1.61 करोड़ मूल्य के सेवा कर के कम भुगतान का पता लगाने में विफल रहे। मंत्रालय ने बताई गई राजस्व हानि स्वीकार की (अप्रैल 2017 तथा जुलाई 2017) किंतु बताया कि आईएपी ने इन इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की थी। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आईएपी रिपोर्टों की प्रतियों के अनुसार आईएपी ने हमारी लेखापरीक्षा आपत्ति में कवर की गई आंशिक अवधि के लिए इन इकाइयों की लेखापरीक्षा की थी।

4.5.2.4 सेवा के गलत वर्गीकरण के कारण सेवा कर का कम भुगतान

जयपुर कमिश्नरी में मै. ओसवाल केबल्स प्रा. लि. की आईएपी द्वारा अक्टूबर 2015 में लेखापरीक्षा की गई थी। उसी निर्धारिती के अभिलेखों की हमारी जांच (फरवरी 2016) में पता चला कि निर्धारिती ने विव13 तथा विव14 के दौरान

₹ 3.54 करोड़ के मूल्य पर मै. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को उत्थापन, शुरू करने तथा प्रतिष्ठापन सेवाएं प्रदान की थी जिस पर ₹ 43.79 लाख (उपकर सहित) का सेवा कर देय था। संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने निर्माण कार्य ठेका सेवा के रूप में इस सेवा को गलत रूप से वर्गीकृत करते हुए 60 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के बाद 40 प्रतिशत सेवा मूल्य पर ₹ 17.49 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था। इस सेवा को निर्माण कार्य ठेका सेवा के रूप वर्गीकृत करना गलत था क्योंकि इस सेवा के कार्यान्वयन में कोई संपत्ति हस्तांतरण नहीं पाया गया था। अतः सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा ₹ 26.30 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ था।

⁴⁴ हैदराबाद एसटी (मै. ग्लोबलोजिक टेक्नोलोजिज लि.) तथा गुटुर कमिश्नरी (मै. जीएस एलॉय कास्टिंग लि. इकाई II)

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि ₹ 32.55 लाख के सेवा कर की वसूली हेतु निर्धारिती को अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। मंत्रालय का उत्तर आईएपी की विफलता पर मौन था।

4.5.3 सेवा कर के भुगतान न करने का पता न चलना

4.5.3.1 प्रति प्रभार तंत्र के तहत देय सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(जी) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी तथा अधिसूचना सं.30/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 में प्रावधान किया गया कि सेवा प्राप्तकर्ता गैर-करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति से कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई किसी करयोग्य सेवा पर सेवा कर के भुगतान का दायी होगा।

बैंगलोर एसटी-1। कमिश्नरी में मै. मर्सीडीज-बैंग रिसर्च तथा डेवलपमेंट इंडिया प्रा. लि. से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं से सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, व्यावसायिक तथा तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्राप्त की थी तथा वह प्रति प्रभार तंत्र के तहत इस पर सेवा कर भुगतान का दायी था। तथापि, निर्धारिती ने विव12 से विव16 की अवधि हेतु प्राप्त इन सेवाओं पर ₹ 1.08 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। मार्च 2014 में आईएपी द्वारा इकाई की लेखापरीक्षा की गई थी किंतु इस चूक के बारे में नहीं बताया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2016) तब कमिश्नरी ने विव12 से विव16 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर ₹ 60.51 लाख के ब्याज के अलावा ₹ 1.08 करोड़ के सेवा कर भुगतान की सूचना दी थी (मार्च 2017)। मंत्रालय ने यह कहते हुए विभाग की चूक स्वीकार नहीं की (अक्टूबर 2017) कि फरवरी 2012 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा (विव11 तक की अवधि हेतु) में इस मामले का पता चल गया था जिस पर विव11 तक की अवधि हेतु एससीएन जारी किया गया था। अतः आईएपी, जिसने मार्च 2014

में अगली लेखापरीक्षा की थी, ने उक्त के बारे में नहीं बताया क्योंकि संबंधित रेंज/डिविजन द्वारा आवधिक एससीएन जारी/प्रस्तावित किए जाने थे।

मंत्रालय का उत्तर सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 के अनुबंध VIII के कॉलम 17 में निर्धारिती को पहले जारी एससीएन की जांच और उसमें कवर की गई अवधि की जांच के लिए निर्धारित विशेष जांच के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं था कि क्या समान चूक जारी रही। इसके अलावा, मामले के पिछली अवधि हेतु विभाग की जानकारी में होने के बावजूद यदि मामले को सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित न किया गया होता तो मांग काल बाधित बन सकती थी।

4.5.3.2 कारोबार सहायक सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना

कारोबार या वाणिज्य की सेवाओं के समर्थन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, किसी भी तरीके से, 30 जून 2012 तक कर योग्य सेवा थी। उन सेवाओं को छोड़ कर, जो किसी अधिसूचना द्वारा छूट प्राप्त थी या वह जिन्हें नकारात्मक सूची में डाला गया था, सभी सेवाओं पर सेवा कर जुलाई 2012 से देय था।

वड़ोदरा-। कमिश्नरी में मै. चैकमेट सर्विसेज प्रा. लि. ने मै. यूपीएल इनवायरमेंटल इंजीनियर्स लि. (यूपीएलईईएल) को विव13 से विव15 के दौरान ₹ 3.46 करोड़ मूल्य के लिए नगरपालिका कचरे के प्रहस्तन तथा यातायात की सेवाएं प्रदान की थी। ये सेवाएं कारोबार सहायक सेवाओं के तहत आती हैं जिन पर ₹ 42.80 लाख का सेवा कर देय था। तथापि, इस राशि पर निर्धारिती ने किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) तथा ₹ 2.15 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके अलावा, आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी जिसके कारण मंत्रालय ने बताया कि चूक का पता नहीं लगाया जा सका था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सेवा कर का भुगतान न करना तीन वित्त वर्षों तक जारी रहा और इसलिए आईएपी की लेखापरीक्षा योजना में इस मामले को शामिल न करना डेस्क समीक्षा की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है।

4.5.3.3 घोषित सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 ई(ई) के अनुसार, किसी कार्य से बचने अथवा कार्य या किसी को स्थिति को मानने अथवा कोई कार्य करने हेतु सहमत होने पर यह एक 'घोषित सेवा होगी' और यह करयोग्य होगी।

इंदौर कमिश्नरी में मै. एम.पी. औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंडिया) लिमिटेड के सेवा कर एवं वित्तीय अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (अगस्त 2016) कि विव13 से विव16 की अवधि के लिए निर्धारिती ने "जुर्माना/शास्ति अथवा अन्य" के लिए ₹ 9.54 करोड़ की आय दर्शाई थी। यह यथा उल्लिखित धारा 66 ई(ई) के अनुसार घोषित सेवा के अंतर्गत आता है लेकिन निर्धारिती ने इस आय पर देय ₹ 69.89 लाख के सेवा कर (अधिभार सहित) का भुगतान नहीं किया था। इसे निर्धारिती से ब्याज और जुर्माने सहित वसूला जाना चाहिए था।

जब हमने इस मामले को उठाया (अगस्त 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं मानी और बताया (सितम्बर 2017) कि करार के उल्लंघन हेतु शास्ति/जुर्माने को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 के अंतर्गत 'प्राप्त आय' के रूप में नहीं माना जा सकता और इसलिए यह एक 'सेवा' नहीं है। वे आगे भी इस बात पर अड़े रहे कि सहमति के अनुसार प्रतिबद्धता पूरी करने में व्यक्ति की आयोग्यता के लिए वसूले जा रहे शास्ति/जुर्माने को "सेवा प्रदान करने" के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि "किसी कार्य को सहन करना" वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 के अनुसार घोषित सेवा में विशेष रूप से शामिल है।

4.5.4 सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने/उपयोग करने का पता न लगाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3)(ii) के अनुसार करयोग्य एवं छूटप्राप्त दोनों सेवार्यें प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता को प्राप्त एवं इनपुट/सेवाओं के उपयोग का अलग लेखा बनाना पड़ता है। अलग लेखा न बनाने का विकल्प चुनने वाला सेवा प्रदाता, नियम (6(3ए) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार सेवाओं से छूट से संबंधित समानुपातिक रिवर्स सेनवैट क्रेडिट का विकल्प चुन सकता है। इस समानुपातिक धनराशि की गणना करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान इनपुट/इनपुट सेवाओं पर लिए गए कुल सेनवैट क्रेडिट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.5.4.1 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

आईएपी ने सितम्बर 2013 की अवधि को शामिल करते हुए बेंगलुरु एसटी-11 कमिश्नरी में मै. मोटर वर्ड लि., 'नन्दी टोयटा' की लेखापरीक्षा की (दिसम्बर 2013)। हमारी संवीक्षा (जुलाई 2015) से पता चला कि निर्धारिती ने करयोग्य एवं छूट प्राप्त सेवाओं, दोनों के लिए सामान्य रूप से इनपुट्स एवं इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट लिया और अलग से लेखा नहीं बनाया। निर्धारिती ने सेनवैट क्रेडिट का कुछ भाग वापस कर दिया लेकिन प्रावधान के अनुसार सभी इनपुट सेवाओं की बजाए करयोग्य एवं छूटप्राप्त सेवाओं, दोनों के लिए केवल सामान्य इनपुट सेवाओं को अपनाते हुए वापसीयोग्य धनराशि की गणना की। इसके परिणामस्वरूप विव13 से विव15 के दौरान ₹ 1.32 करोड़ की कम वापसी हुई।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2015), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं मानी और बताया (सितम्बर 2017) कि करयोग्य सेवार्यें प्रदान करने हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर निर्धारिती पूरा सेनवैट क्रेडिट लेने हेतु पात्र था और निर्धारिती की गणना सही थी। यह भी बताया गया कि राजस्व की सुरक्षा के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर ₹ 1.05 करोड़ की मांग करते हुए एससीएन जारी किया गया था और यह कि

निर्धारिती ने इस मांग के विरोध में ₹ 1.10 करोड़ राशि का भुगतान कर दिया (सितम्बर 2015 और जनवरी 2017)।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करयोग्य एवं छूटप्राप्त इनपुट सेवा हेतु अलग से लेखा न बनाने वाले निर्धारिती के लिए सेनवैट क्रेडिट वापसी का सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 (3ए) में प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए जिसमें सेनवैट क्रेडिट राशि की वापसी की गणना हेतु सम्पूर्ण सेनवैट क्रेडिट लिया जाना था।

4.5.4.2 सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ

01 जुलाई 2012 से लागू दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं.26/2012-एसटी के अनुसार, परिसर, भवन, सिविल ढाँचे अथवा किसी भाग का जिसे खरीददार को बेचने के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्माण किया जा रहा है, के मामले में दिए गए कुल राशि के 75 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, केवल उसको छोड़कर जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् पूरी राशि प्राप्त होती है, बशर्ते कि सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत करयोग्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त इनपुट पर कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया गया हो।

दिल्ली एसटी-1 कमिश्नरी में मै. पारस रियलटेक लिमिटेड के सेवा कर अभिलेखों की संवीक्षा (आईएपी द्वारा जून 2015 में लेखापरीक्षित) से पता चला कि विव13 और विव14 के दौरान निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं और पूँजीगत वस्तुओं के अलावा इनपुट पर ₹ 77.35 लाख का सेनवैट क्रेडिट लिया था जो उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। अतः इनपुट पर लिये गए ₹ 77.35 लाख का गलत सेनवैट क्रेडिट की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए थी।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2015), तब मंत्रालय ने यह सूचना देते हुए (अगस्त 2017) कि एससीएन जारी कर दिया गया था (सितम्बर 2016), बताया कि चूँकि सेनवैट का सत्यापन निर्धारिती द्वारा आईएपी को प्रस्तुत

इंवाइसेज़ के नमूना आधार पर किया गया था इसलिए उक्त चूक का पता नहीं लग सका।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारितियों द्वारा दावा किए गए छूट की सटीकता की जांच करने हेतु सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के अनुबंध VIII के कॉलम 12 में एक विशिष्ट जांच का प्रावधान था और अपेक्षित सूचना एसटी-3 विवरणी में ही उपलब्ध थी।

4.5.5 संग्रहीत सेवा कर का प्रेषण न करने का पता न लग पाना

आईएपी द्वारा भोपाल कमिश्नरी में आपत्ति अवधि को शामिल करते हुए मै. राइटर्स एण्ड पब्लिसर्स प्रा. लि. लेखापरीक्षा की गई थी। इस निर्धारिती के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा (अगस्त 2016) से पता चला कि विव13 से विव16 के दौरान निर्धारिती ने ₹ 24.11 करोड़ के कम मूल्य पर अचल संपत्ति सेवा को किराए पर देने पर सेवा कर का भुगतान किया, लेकिन इसने अपने क्लाइंट से ₹ 25.41 करोड़ के सेवा के पूरे मूल्य पर सेवा कर लिया। इस प्रकार, निर्धारिती ने अपने क्लाइंट से ली गई कटौती राशि पर ₹ 0.17 करोड़ का सेवा कर वसूल किया लेकिन इसे केंद्र सरकार के खाते में जमा नहीं कराया।

इसीप्रकार मार्च 2013 तक आईएपी द्वारा शामिल अवधि हेतु हैदराबाद कमिश्नरी में मै. विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेज़ प्रा. लि. के मामले में हमने देखा कि निर्धारिती ने अपने द्वारा संग्रहीत ₹ 0.20 करोड़ का सेवा कर जमा नहीं किया।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2016 और फरवरी 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2017) लेकिन दोनों मामलों में आईएपी की विफलता पर कुछ नहीं कहा।

4.5.6 ब्याज के कम भुगतान, भुगतान न करने का पता न लगना

वित्त अधिनियम 1994, की धारा 75 के अनुसार, सेवा कर के भुगतान पर निर्धारित दरों पर ब्याज देय है।

कच्छ कमिश्नरी में मै. दुर्गा कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने विव15 और विव16 में सेवा कर का विलम्ब से भुगतान किया था। तथापि, निर्धारिती द्वारा ₹ 1.25 करोड़ राशि के भुगतान में देरी के लिए देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। आईएपी ने निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की थी (सितम्बर 2016) लेकिन इसे इंगित नहीं किया।

जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और सूचित किया (जून 2017) कि निर्धारिती ने ब्याज का भुगतान कर दिया था। आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा नमूना जांच आधार पर की गई थी।

सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2011 के अनुबंध IV के कॉलम 20 के अंतर्गत सभी एसटी-3 विवरणियों की जांच के लिए विशेष प्रावधान को देखते हुए आईएपी की विफलता के लिए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था।

4.5.7 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं/कर चूक-कर्ताओं की पहचान न करना

धनबाद कमिश्नरी में मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के सत्यापन के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती के 27 सेवा प्रदाताओं ने निर्धारिती को प्रदान की गई कार्य ठेका सेवा पर ₹ 22.44 लाख का सेवा कर नहीं वसूला। इसी प्रकार, कोचीन कमिश्नरी में मै. पॉपी अम्ब्रेला मार्ट के अभिलेखों की हमारी जांच में पता चला कि इस निर्धारिती के सेवा प्रदाता ने न तो पंजीकरण प्राप्त किया था और न ही ₹ 10.01 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था। यद्यपि आईएपी ने निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की थी (जनवरी और अगस्त 2014), लेकिन इन चूकों का पता नहीं लगा पाए थे।

जब हमने इसे बताया, तब मंत्रालय ने दोनों मामलों में राजस्व की हानि स्वीकार कर ली (मई 2017 और सितम्बर 2017) और आईएपी की विफलता पर कहा कि आईएपी ने सेवा प्राप्तकर्ता की लेखापरीक्षा की थी, न कि सेवा प्रदाता की। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्धारिती के व्यय लेखाओं की संवीक्षा हेतु विशेष जांच का प्रावधान था ताकि

यह देखा जा सके कि क्या उन लेखाओं पर सेवा कर देयता पूरी हुई थी अथवा नहीं।

4.5.8 मामले जहां आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण नहीं प्रदान किए गए

हमने सेवा कर के कम भुगतान/भुगतान न करने आदि की पांच घटनायें (परिशिष्ट V के खण्ड सी⁴⁵ में शामिल) देखी; आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु इन इकाइयों का चयन, लेखापरीक्षा का आयोजन, आईएपी रिपोर्ट आदि हमें नहीं उपलब्ध कराई गई। इसलिए हम इन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा की दक्षता की जांच करने में असमर्थ थे। दो ऐसे मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं:

4.5.8.1 वापसी प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(जी) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी तथा दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-एसटी में प्रावधान है कि सेवा प्राप्तकर्ता को गैर-करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति से करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी करयोग्य सेवा पर सेवा कर का भुगतान करना होगा।

विव12 और विव13 की अवधि हेतु मुंबई एलटीयू कमिश्नरी में मै. जॉनसन एण्ड जॉनसन लि. के वार्षिक लेखे की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने मै. जॉनसन एण्ड जॉनसन, यूएसए को रॉयल्टी के रूप में क्रमशः ₹ 122.80 करोड़ और ₹ 137.14 करोड़ का भुगतान किया था। तथापि, इस व्यय की एसटी-3 विवरणियों के साथ मिलान करने पर प्रथम दृष्ट्या एसटी-3 विवरणियों में कर हेतु बताए गए करयोग्य मूल्य के कम होने का पता चला।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2014), तब कमिश्नरी ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 1.19 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 1.65 करोड़ के सेवा कर का भुगतान कर दिया था लेकिन आंतरिक लेखापरीक्षा के

⁴⁵ परिशिष्ट-V की धारा सी का कॉलम सं. 8, 10, 12, 24 और 38

विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

4.5.8.2 विवरणी में सेनवैट क्रेडिट का उपयोग न दर्शाने के कारण सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 में प्रावधान है कि कोई भी करयोग्य सेवा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्धारित दर पर सेवा कर का भुगतान करना होगा। सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि सेवा कर का भुगतान केवल मार्च महीने को छोड़कर जहां कर का भुगतान 31 मार्च तक ही किया जाना है, भुगतान प्राप्त होने वाले महीने के तुरंत बाद, महीने की 5वीं/6वीं तारीख तक केंद्र सरकार के खाते में जमा कराया जाना है।

मुंबई एसटी-11 कमिश्नरी में मै. स्टारलॉग इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विव16 के मिलान विवरण के अनुसार, निर्धारिती ने अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 4.98 करोड़ की कुल सेवा कर देयता का भुगतान किया था (₹ 3.41 करोड़ नकद और ₹ 1.57 करोड़ सेनवैट क्रेडिट के उपयोग द्वारा)। तथापि, सेनवैट क्रेडिट का उपयोग एसटी-3 विवरणी में नहीं दर्शाया गया था और ₹ 1.57 करोड़ की सम्पूर्ण राशि को एसटी-3 विवरणी में सेनवैट क्रेडिट के अन्त शेष में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिसे ब्याज एवं जुर्माने के साथ वसूला जाना था।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2017), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2017) निर्धारिती द्वारा ₹ 12.95 लाख के ब्याज सहित ₹ 91.24 लाख के सेवा कर देयता के भुगतान की सूचना दी और बताया कि शेष राशि के लिए एससीएन जारी किया जा रहा था। लेकिन मंत्रालय नव गठित जीएसटी लेखापरीक्षा । कमिश्नरी, मुंबई में इस सूचना की अनुपलब्धता के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरणों की पुष्टि नहीं कर सका और अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

4.6 क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों के कार्यचालन में कमियां

हमने क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों के कार्यचालन में कमियां दर्शाने वाले 14 मामले देखे। मंत्रालय ने तीन मामले मान लिए (*परिशिष्ट-IV* का खण्ड घ), जबकि 11 मामलों में (*परिशिष्ट-V* का खण्ड ड.) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं थी। उत्तर प्रतीक्षित था।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

4.6.1 सरकारी अभिलेखों से चूककर्ताओं की पहचान न करना

बोर्ड के दिनांक 23 नवम्बर 2011 के निर्देश के अनुसार, कमिश्नरी के विशेष सेल में विभिन्न स्रोतों जैसे- येलो पेजेज, समाचार पत्र-विज्ञापनों, आयकर विभाग, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरणों और वेबसाइटों, नगर निगमों से सूचना और उनके द्वारा ली जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित पीएसयूज एवं निजी क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों से सूचना प्राप्त करनी थी।

विव12 से विव16 के लिए मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पंचकुला (हरियाणा) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि उक्त कार्यालय ने अपने विभागीय अधिकारियों के लिए मै. शगुन इंटरप्राइजेज़, चंडीगढ़ से टैक्सियां किराये पर लीं। हमने चंडीगढ़ । कमिश्नरी में सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत मै. शगुन इंटरप्राइजेज़ के अभिलेखों/बिलों एवं वाउचरों की संवीक्षा की और पाया कि निर्धारिती ने कार्यालय, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पंचकुला से विव13 से विव16 की अवधि के लिए किराये पर कैब सेवा प्रदान करने हेतु ₹ 2.60 करोड़ प्राप्त किए थे और सेवा कर के भुगतान हेतु दायी था। लेकिन निर्धारिती ने न तो सेवा कर विवरणी ((एसटी-3) फाइल की थी और न ही ₹ 13.05 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था जो ₹ 6.48 लाख के ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अप्रैल 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और बताया (सितम्बर 2017) कि निर्धारिती ने ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 25.22 लाख की कुल सेवा कर देयता का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि निर्धारिती ने कोई भी एसटी-3

विवरणी दाखिल नहीं की थी, इसलिए विवरणियों की संवीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर इस बिन्दु के साथ प्रासंगिक नहीं था कि हमने कर चूककर्ताओं की पहचान करने के लिए सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध सूचना का उपयोग करने के बारे में आपत्ति की थी।

4.6.2 विलम्ब से विवरणियां प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क न वसूला जाना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70 में विलम्ब से विवरणियां प्रस्तुत करने पर अधिकतम ₹ 20,000/- का विलम्ब शुल्क वसूले जाने का प्रावधान है।

हापुड़ कमिश्नरी के अंतर्गत सेवा कर रेंज मुरादाबाद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विव15 से संबंधित 325 एसटी-3 विवरणियां एक से 482 दिनों तक की देरी से प्रस्तुत की गई थी। विभाग ने इन विलम्बित विवरणियों पर ₹ 34.55 लाख के विलम्ब शुल्क की वसूली सुनिश्चित नहीं की।

जब हमने यह बताया (अप्रैल 2016), तब कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और सूचित किया (सितम्बर 2016) कि वसूली कार्रवाई शुरू की गई थी और अब तक 10 एससीएन जारी किये गये थे और शेष चूककर्ताओं के संबंध में एससीएन प्रक्रियाधीन थे।

आगे की प्रगति और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

4.6.3 अनुवर्ती कार्रवाई में कमियां

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे विवरणियों की संवीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा का अपेक्षित प्रभाव केवल तभी हो सकता है यदि क्षेत्राधिकारी पूर्व में देखी गई चूकों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई करें। हमने विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई में कमी के दो मामले देखे और ₹ 0.44 करोड़ की राजस्व हानि का पता नहीं लगता यदि लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित नहीं किया गया होता। दोनों मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.6.3.1 सेवा कर का कम भुगतान

हैदराबाद सेवा कर कमिश्नरी में, मैसर्स विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज़ प्रा. लि. की हमारी संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विव 15 के लिये ₹ 30.62 लाख के सेवा कर का कम भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, मार्च 2013 तक की अवधि के लिये की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में विव13 में चार समान आपत्तियों का उल्लेख किया गया था। लेकिन अभी तक क्षेत्राधिकारी रेंज कार्यालय ने सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने तक अनुवर्ती वर्षों में सेवा कर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की थी।

जब हमने यह बताया (फरवरी 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2017) और ₹ 30.62 लाख की वसूली की, यद्यपि ब्याज की वसूली की जानी थी। मंत्रालय ने आगे बताया कहा कि क्योंकि निर्धारिती ने चूक की घोषणा पहले ही कर दी थी, इसलिये अलग से कार्रवाई करना आवश्यक नहीं था।

मंत्रालय के उत्तर ने पूर्व अवधि में चूक के ज्ञात मामलों में भी निर्धारिती द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता दर्शाई।

4.6.3.2 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

1 जुलाई 2012 से लागू वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी ओर 66डी के साथ पठित सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अनुसार नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट व्यापार गतिविधि “छूट प्राप्त सेवा” है। इसके अतिरिक्त, उस मामले में जहां करयोग्य और छूट प्राप्त सेवाएँ, दोनों प्रदान की गई हैं और सेवा प्रदाता ने सामान्य इनपुट सेवाओं से संबंधित अलग लेखे नहीं बनाये हैं, तो कथित नियमावली के नियम 6(3) में यथा निर्धारित, सेवा प्रदाता या तो छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छह प्रतिशत के बराबर राशि या नियम 6(3ए) में यथा निर्धारित देने के लिये निर्धारित सेनवैट क्रेडिट वापस करेगा।

चेन्नै एसटी-॥ कमिश्नरी में, मैसर्स आईएसएस एसडीबी सेक्यूरिटी सर्विसेज़ प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच करने पर हमने देखा कि विव13 से विव16 के

दौरान, निर्धारिती ने करयोग्य और छूट प्राप्त, दोनों सेवाओं (ट्रेडिंग) से संबंधित सामान्य इनपुट सर्विसेज़ पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ लिया और ट्रेडिंग गतिविधि को आरोप्य ₹ 10.28 लाख के सेनवैट क्रेडिट को वापस किये बिना, करयोग्य सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिये क्रेडिट का उपयोग किया, जिसका उपयुक्त ब्याज सहित भुगतान किया जाना है।

विभाग के आईएपी ने भी विव13 और विव14 के लिये समान गलती के बारे में बताया और निर्धारिती ने सेनवैट राशि वापस की थी। लेकिन निर्धारिती के वार्षिक लेखाओं सहित एसटी-3 विवरणियों की जांच पर सीएजी लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने विव13 से विव14 के लिये ₹ 8.92 लाख के सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी की और विव15 के लिये ₹ 1.36 लाख की वापसी नहीं की। इसलिये, विभाग आईएपी द्वारा निर्धारिती की ओर से इस चुक को नोटिस करने के बाद भी निर्धारिती द्वारा सेनवैट वापस करने की सटीकता सुनिश्चित करने में विफल रहा।

जब हमने यह बताया (मार्च 2016), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार न करते हुये (सितम्बर 2017) बताया कि उसे मामले के बारे में पहले से ही जानकारी है क्योंकि आईएपी ने पहले ही चूक के बारे में बता दिया था और कि निर्धारिती ने ₹ 10.28 लाख के सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ वापस कर दिया था और ₹ 2 लाख के उचित ब्याज का भुगतान भी कर दिया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आईएपी की विफलता के बारे में नहीं बताया था बल्कि विभाग की अनुवर्ती कार्रवाई में चूक के बारे में बताया था जिसके परिणामस्वरूप आपत्ति की राशि की कम वसूली हुई, जिसे सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद ही सही किया गया था।

4.6.4 प्रतिदाय की अधिक मंजूरी

दिनांक 1 मार्च 2005 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, ₹ 5 लाख या उससे अधिक राशि से जुड़े सभी प्रतिदाय/छूट दावे क्षेत्राधिकारी कमिश्नर के स्तर पर पूर्व लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन होने चाहिये।

एलटीयू मुंबई कमिश्नरी में, इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ प्रदान करने में लगे मैसर्स सोनाटा इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ने अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 की तिमाही के लिये ₹ 82.65 लाख का संशोधित प्रतिदाय दावा फाइल किया, जो विभाग द्वारा अप्रैल 2014 में संस्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रति प्रभार के अंतर्गत भुगतान किये गये सेवा कर के सेनवैट क्रेडिट का समय पूर्व लाभ लेने और निर्यात कारोबार के टीडीएस को बाहर न रखने के कारण ₹ 20.46 लाख के प्रतिदाय की अधिक मंजूरी हुई थी। यद्यपि प्रतिदाय दावे का अप्रैल 2014 में पूर्व लेखापरीक्षण किया गया था परन्तु इन कमियों के बारे में नहीं बताया गया था।

जब हमने यह बताया (जून 2015), तब मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि ₹ 20.46 लाख की राशि की अधिक वापसी की वसूली की मांग एससीएन हेतु निर्धारिती को जारी (सितम्बर 2015) किया गया था। मंत्रालय ने बताया कहा कि प्रतिदाय दावे की पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिदाय आवेदन जो मिलान करने के लिये था, में दावा की गई राशि के साथ फाइल किये गये विवरणियां में सेनवैट क्रेडिट लाभ की राशि सुनिश्चित करने तक सीमित थी। मंत्रालय ने आगे बताया कहा कि प्रतिदाय दावे के साथ स्वतंत्र सनदी लेखाकार (सीए) जो प्रतिदाय दावे की यर्थाथता प्रमाणित करता है, उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वह सीए द्वारा प्रमाण पत्र देकर स्वीकृत प्रतिदाय की यर्थाथता सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता और मंत्रालय को भी सीए, जिसने प्रतिदाय दावे को अनुचित रूप से प्रमाणित किया है, के प्रति उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.6.5 एससीएन जारी करने में कमी

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V की धारा 73 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, जहां कोई सेवा कर नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम उगाही की गई है या कम भुगतान किया गया है या गलती से

वापस कर दिया गया है, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी संबंधित तिथि से अठारह महीनों के अंदर, सेवा कर को प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है।

4.6.5.1 समय पर एससीएन जारी न करना

पटना कमिश्नरी में मैसर्स नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (एनएचपीसी) ने एजेंसी शुल्क के रूप में सड़क मंत्रालय से विव13 से विव15 के दौरान ₹ 31.09 करोड़ प्राप्त किए। लेकिन निर्धारिती ने ₹ 3.84 करोड़ का सेवा कर और शिक्षा उपकर जमा नहीं किया।

जब हमने यह बताया (मार्च 2016), तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जनवरी 2017) कि समान मामले में निर्धारिती ने विव09 से विव12 की अवधि के लिये सीईएसटीएटी के समक्ष अपील फाइल की है जिस पर स्टे दिया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विव09 से विव12 की अवधि वाले इस मामले को सीएजी की 2015 की रिपोर्ट संख्या 4 (पैरा 7.4.1.1) में बताया गया था जहां चूक का पता लगाने में आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के बारे में बताया गया था और विभाग ने अधिनिर्णय के दौरान इस मामले में मांग की पुष्टि की सूचना दी थी। पूर्व अवधि में सीएजी द्वारा बताये जाने के बाद भी, विभाग ने अनुवर्ती अवधि अर्थात विव13 से विव15 के लिये ₹ 3.84 करोड़ के एससीएन जारी नहीं किये। इससे देय कर के भाग का समयबधित होने का जोखिम हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2017)।

4.6.5.2 एससीएन में मांग शामिल न करना

कोलकाता एसटी-। कमिश्नरी के अंतर्गत नॉर्थ डिवीजन के अभिलेखों की संवीक्षा (नतम्बर 2015) से पता चला कि आईएपी ने मैसर्स जीनियस कंसलटेन्ट्स लिमिटेड और मैसर्स नोमूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. के संबंध में विव10 से विव11 की अवधि के लिये ₹ 13.10 लाख और विव10 से विव12 की अवधि हेतु ₹ 1.70 करोड़ के लिये

आपत्तियां उठाईं। दोनों मामलों की क्रमशः फरवरी 2013 और फरवरी 2014 में आयोजित मॉनीटरिंग समिति बैठक (एमसीएम) में चर्चा की गई थी और एससीएन जारी करने का निर्णय लिया गया था। अंत में, विभाग ने विव10 से संबंधित क्रमशः ₹ 29.26 लाख और ₹ 5.42 लाख की मांग को छोड़कर क्योंकि यह कालबाधित हो गयी थी, अक्टूबर 2015 में एससीएन जारी किया था। इसप्रकार एससीएन जारी करने में विलम्ब के कारण ₹ 34.68 लाख के राजस्व की हानि हुई।

जब हमने यह बताया (नवम्बर 2015), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) और बताया कि एससीएन जारी करने में विलम्ब संबंधित डिवीजन द्वारा ड्रॉफ्ट एससीएन अग्रेसित करने में विलम्ब के कारण था और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

नई दिल्ली
दिनांक: 27 नवम्बर 2017

(हिमबिंदु मुडुंबै)
प्रधान निदेशक (वस्तु एवं सेवा कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 27 नवम्बर 2017

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

